वरिष्ठ संरक्षक : श्री प्रवीण कुमार सिंह ... : श्री दिनेश कुमार नायक

क्र. ....29........

दिनांक ....15.1.19..

प्रति,

मानननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
जबलपुर

विषय:— महिला कर्मचारीगण को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने के संबध में।

माननीय महोदय,

विषयांतर्गत संघ की ओर से सादर निवेदन है कि मध्यप्रदेश की अधीनस्थ जिला स्थापनाओं पर कार्यरत/पदस्थ तृतीय श्रेणी महिला कर्मचारीगण के शासन द्वारा चाईल्ड केयर लीव की सुविधा प्रदान की गई है जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अंगीकृत करते हुये महिला कर्मचारीगण को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने हेतु समस्त जिला स्थापनाओं को निर्देशित किया गया है।

माननीय महोदय, संघ की ओर से सादर निवेदन है कि संघ के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ जिला स्थापनाओं पर महिला कर्मचारीगण को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं की जा रही है अथवा लीव स्वीकृत किये जाने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। महोदय उक्त लीव महिला कर्मचारीगण के बच्चों की देखरेख अथवा उच्च शिक्षारत बच्चे की पढ़ाई व परीक्षा के दौरान माता की देखरेख मुहैया करवाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है जो कि महिला कर्मचारीगण के पारिवारिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है, उक्त लीव के अभाव में महिला कर्मचारीगण को काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है।

अतः संघ माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध करता है कि महिला कर्मचारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये सभी जिला

स्थापनाओं पर महिला कर्मचारीगण को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने के संबंध में पूर्व प्रसारित निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किये जाने संबंधी उचित निर्देश प्रसारित करने की अनुकंपा करें।

निवेदन सादर प्रस्तुत।

(राकेश वर्मा)
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
म0प्र0न्यायिक कर्मचारी संघ

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. माननीय रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) उच्च न्यायाल मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही निवेदन सहित सादर प्रेषित।